

<p>तारीख हुक्म</p>	<p>हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज</p> <p><b>रामचन्द्र</b></p> <p><b>बनाम</b></p> <p><b>लोक सूचना अधिकारी, (उपखण्ड अधिकारी लूणी)</b></p> <p>सू.अ.अपील संख्या-ऑनलाईन अपील संख्या 353579261514287</p>	<p>न. व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए</p>
<p>17/03/26</p>	<p>अपीलार्थी रामचन्द्र निवासी देवपुरा, ढाणढणिया, तहसील लूणी, जोधपुर द्वारा लोक सूचना अधिकारी (उपखण्ड अधिकारी लूणी) को सूचना का अधिकार के तहत प्रार्थना पत्र दिनांक 11.02.2026 राजस्थान सम्पर्क पोर्टल पर दर्ज परिवादों के संबंध में विभिन्न अभिलेखीय एवं रिकार्ड- आधारित सूचनाएं प्रमाणित प्रतियों सहित प्राप्त करने हेतु व अन्य विविध सूचना के लिए प्रेषित किया गया तथा उक्त लोक सूचना अधिकारी द्वारा सूचना नहीं दी गई, जिससे व्यथित होकर यह अपील पेश हुई।</p> <p>अपील में रेस्पो. पक्ष लोक सूचना अधिकारी (उपखण्ड अधिकारी लूणी) को नियत सुनवाई तिथि को आवश्यक दस्तावेज सहित (तथ्यात्मक) उपस्थित होने एवं अपीलार्थी को सुनवाई तिथि हेतु आरटीआई पोर्टल के माध्यम से नोटिस जारी किया गया।</p> <p>हमने पत्रावली का अवलोकन किया। नियत सुनवाई तिथि पर रेस्पो. पक्ष अनुपस्थित एवं अपीलार्थी उपस्थित। रेस्पो. पक्ष लोक सूचना अधिकारी (उपखण्ड अधिकारी लूणी) से आदिनांक तक तथ्यात्मक रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई।</p> <p>अतः अपील स्वीकार की जाती है तथा लोक सूचना अधिकारी (उपखण्ड अधिकारी लूणी) को निर्देशित किया जाता है कि प्रार्थी द्वारा चाही गई सूचना 15 दिवस के भीतर नियमानुसार उपलब्ध करावे, अन्यथा नहीं दिये जाने के कारणों से प्रार्थी को अवगत कराया जावे। आदेश की प्रति संबंधित को सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित हो। आदेश सुनाया गया।</p> <p style="text-align: right;">(गौरव अग्रवाल) जिला कलक्टर, जोधपुर</p>	

**Signature valid**

Digitally signed by Gaurav Agrawal  
Designation: Collector & District  
Magistrate  
Date: 2026.03.17 12:49:15 IST  
Reason: Approved

RajKaj Ref No.:  
21095955

